# कार्यालय – मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जोधपुर जिला (राज.)

दिनांक – 01.02.2024

**कमांक –** शे /07

## : : कार्यालय आदेश : :

**मैं श्रीमती अलका जोशी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जोधपुर जिला (अतिरिक्त कार्यभार)** दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 14 सपठित धारा 15 (2) में प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए **माह फरवरी, 2024 राजकीय अवकाशों को जोधपुर जिला मुख्यालय, औसियां, बालेसर, बिलाड़ा, पीपाड़ शहर, भोपालगढ़ तथा फलौदी, बाप व लोहावट न्यायालयों के क्षेत्राधिकार** मे उत्पन्न होने वाले आवश्यक आपराधिक प्रकरणों यथा रिमाण्ड, जमानत, मृत्युकालीन कथन, मृत्यु समीक्षा एवं अन्य आवश्यक कार्य यथा प्रोटोकॉल आदि के लिए इस कार्यालय आदेश के जरिये कॉलम संख्या (2) में अंकित न्यायिक अधिकारीगण को उनके नाम के आगे कॉलम संख्या (4) में अंकित अवकाश की तिथि को एवं नियत तिथि के पूर्ववर्ती कार्यदिवस को कार्यालय समय पश्चात् से पश्चातवर्ती कार्य दिवस को कार्यालय समय पूर्व तक अपने मुख्यालय पर रहकर और यदि किसी कारण से नियत तिथि से पूर्ववर्ती या पश्चात्वर्ती कार्यदिवस का अवकाश घोषित होता है, तो संबंधित अधिकारी को मुख्यालय पर ही रहकर कोविड–19 महामारी से बचाव के संबंधित मानक प्रोटोकॉल को दृष्टिगत रखते हुए, उक्त कार्य सम्पादित करने के लिए अधिकृत करती हूँ।

| (1)<br>कम सं. | (2)<br>नाम अधिकारी व पद नाम | (3)<br>फलौदी, बाप व लोहावट न्यायालयों के क्षेत्राधिकार की रिमाण्ड ड्यूटी | (4)<br>नाम अधिकारी व पद नाम | (5)<br>जोधपुर जिला, बालेसर, बिलाड़ा, पीपाड शहर, औसियां, भोपालगढ़ न्यायालयों के क्षेत्राधिकार की रिमाण्ड ड्यूटी |
|---|---|---|---|---|
| 1. | श्री तरूणकात तिवारी<br>अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सख्या–1 फलौदी। | 04/02/2024<br>10/02/2024<br>11/02/2024 | श्री जयराम जाट<br>न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय, औसिया। | 04/02/2024 |
| 2 | ....... | ....... | सुश्री पायल अग्रवाल<br>अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बिलाडा। | 10/02/2024<br>11/02/2024 |
| 3 | डॉ नेहा गोयल<br>अति.मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या–2 फलौदी। | 18/02/2024<br>24/02/2024<br>25/02/2024 | श्रीमती इंदू चौधरी<br>अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बालेसर। | 18/02/2024 |
| 4 | ......... | ........ | विजय कुमार बाकोलिया<br>न्यायिक मजिस्ट्रेट, पीपाड शहर। | 24/02/2024<br>25/02/2024 |

साथ ही, यह भी निर्देशित किया जाता है कि यदि कोई पीठासीन अधिकारी, जिन्हें उक्त अवकाश के दिवसों को उक्तानुसार आवश्यक कार्य करने के लिए अधिकृत नही किया गया है, किन्तु वह अपने मुख्यालय पर (उपार्जित /अर्द्धवैतनिक / रूपान्तरित अवकाश के अतिरिक्त) उपलब्ध है, तो उनके द्वारा उस मुख्यालय पर स्थित न्यायालयों के उक्तानुसार ही आवश्यक प्रकृति के कार्य निष्पादित किये जावेंगे। यह और भी, निर्देशित किया जाता है कि लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम, 2012 के अन्तर्गत गिरफ्तार किए गए। अभिकथित आरोपी/आरोपीगण के रिमाण्ड बाबत् उक्त अधिकृत पीठासीन अधिकारी विधिनुसार आदेश पारित करेंगे। साथ ही एन.डी.पी.एस. प्रकरणों के रिमाण्ड के संबंध में माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, जोधपुर जिला के आदेश कमांक स्था0/2022/1090–1104 दिनांक 12.04.2022 के अनुसार आदेश पारित करेंगे।

1/2/24

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जोधपुर जिला।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जोधपुर जिला

कमांक :– 41

दिनांक :– 2/2/24

प्रतिलिपि निम्नांकित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, जोधपुर जिला।
2. श्रीमान विशिष्ट न्यायाधीश महोदय, पोक्सो, जोधपुर जिला।
3. श्रीमान अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, जोधपुर जिला/फलौदी/बिलाडा/बालेसर। (जरिये E-mail)
4. श्रीयुत अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बिलाडा/फलौदी–संख्या 1 व 2/पीपाड शहर/बालेसर/औसिया। (जरिये E-mail)
5. श्रीयुत न्यायिक मजिस्ट्रेट जोधपुर जिला/पीपाड शहर/बालेसर/फलौदी/बाप/लोहावट/भोपालगढ/बिलाडा/ग्राम न्यायालय औसियां। (जरिये E-mail)
6. श्रीयुत जिला पुलिस अधीक्षक जोधपुर ग्रामीण/फलौदी को प्रतिलिपि प्रेषित कर लेख है कि सभी थानाधिकारियों को सूचित करावें।(जरिये E-mail)
7. जिला आबकारी अधिकारी, जोधपुर को प्रेषित कर लेख है कि अपने अधीन कार्यरत वृत्त निरीक्षक/प्रहराधिकारी/भारसाधक अधिकारी, आबकारी थाना को सूचित करावे।(जरिये E-mail)
8. सहायक निदेषक, अभियोजन जोधपुर।
9. सिस्टम अधिकारी, कम्प्यूटर शाखा, जिला न्यायालय, जोधपुर जिला को प्रेषित कर लेख है कि वह उक्त आदेश को जिला न्यायालय की website पर upload करें।
10. कार्यालय प्रति।

2/2/24

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जोधपुर जिला।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जोधपुर जिला